न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 36 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 91

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भोमसिंह स्व. चतरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम गोदरास तहसील डीडवाना जिला नागौर।		1. पटवारी हल्का, पटवार क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना

उपस्थितः–

1. श्री मो0 अली शेरानी वकील अपीलान्ट
2. श्री रामस्वरूप मीणा तहसीलदार डीडवाना

अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार डीडवाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 22 / 2020 बअनवान सरकार बनाम भोमसिंह में आदेश दिनांक 15.01.2021 पारित किया गया।

निर्णय

दिनांकः 08.04.2024

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अधीन रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, डीडवाना के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2021 बअनुवान प्रार्थी पटवारी हल्का कोलिया बनाम अप्रार्थी श्री भोमसिंह मुकदमा नम्बर 22 / 2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपील से संबंधित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी पंचायत समिति कोलिया ने एक गलत व मिथ्या रिपोर्ट तहसीलदार डीडवाना के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम बाण्डोलाई की ढाणी के खसरा नम्बर 83 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.3300 हैक्टेयर में से रकबा 0.0580 हैक्टेयर भूमि पर भेमसिंह पुत्र चतरसिंह ने कच्ची व पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। [illegible] पर प्रकरण संख्या 22 / 2020 दर्ज किया जाकर बिना प्रार्थी अ[illegible]चित किये व बिना सुनवाई किये, गलत व निराधार त[illegible] 15.01. 2021 को निर्णय पारित कर दिया। [illegible] से यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं, जिस[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

1. यह है कि निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियो के विरूद्ध साक्ष्य व रेकॉर्ड के विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विरूद्ध होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह है कि प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, मगर वर्तमान प्रकरण मे मातहत न्यायालय ने इसकी मात्र खानापूर्ति की है तथा अवीलांट को किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश करने का सम्पूर्ण अवसर नही दिया गया है। इसलिए विधि सम्मत निर्णय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि पटवारी हल्का कोलिया व भू अभिलेख निरीक्षक कोलिया द्वारा बिना अपीलांट की जानकारी के दिनांक 09.07.2020 को जो रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत की हैं, वह रिपोर्ट गलत व निराधार है तथा पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2020 को प्रकरण दर्ज कर अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गई थी।
4. यह है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 13.07.2020 को प्रकरण दर्ज करने के पश्चात् अपीलांट को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये थे, जिसकी आगामी पेशी दिनांक 20 / 07 / 2020 को नियत की गई थी, दिनांक 20.07.2020 नियत पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रापली मे अंकित किया गया है कि पत्रावली पेश हुई हैं, अप्रार्थी को जारी नाटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ हैं, सवार की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी जोधपुर रहना बताया है, पुनः नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 20.07.2020 को पेश हो, न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 13.07.2020 व तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट दिनांक 20.07.2020 अपील के साथ संलग्न है।
5. यह है कि दिनांक 20.07.2020 की आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को पुनः नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये थे, तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.07.2020 के पश्चात् दिनांक 20.08.20202, 21.09.2020, 02.11.2020, 18.12.2020, 21.12.2020 व 15.10.2021 की पेशी नियत की तथा उक्त पेशियो पर कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही उक्त प्रकरण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सूचना ही दी गई, जबकि विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त हैं कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की की जाती हैं तब संबंधित व्यक्ति को सुनवाई हेतु सूचित किया गया तथा उसको [illegible] समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित होता है [illegible] डीडवाना द्वारा ग्राम की राजनैतिक पार्टीबाजी व राजनैतिक [illegible] के कारण बिना अपीलांट को नोटिस जारी किये व बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कु

आदेश गलत पारित किया हैं, इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.01.2021 में अंकित किया है कि हमने हल्का पटवारी कोलिया व भू अभिलेख निरीक्षक कोलिया की रिपोर्ट का भली भांति अवलोकन एवं पत्रावली के अवलोकन से यह पाया है कि अप्रार्थी ने ग्राम कोलिया के खसरा नम्बर 83 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.3300 हैक्टेयर में से 0.0580 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.07.2020 के अवलोकन से यह कही पर भी प्रतीत नहीं होता है कि अपीलांट ने कितने नाप की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा केवल राजनैतिक व पार्टीबाजी के आधार पर तहसीलदार के समक्ष बिना अपीलांट की जानकरी के रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिस रिपोर्ट पर बिना अपीलांट को सूचना किये अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में स्पष्ट अंकन करना था कि अपीलांट द्वारा कितने गुणा कितने की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल गलत व सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7. यह है कि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 83 में से 0.580 भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया हैं जबकि अपीलांट का खसरा नम्बर 83 की एक इंच भूमि पर भी किसी प्रकार का नाजायज अतिक्रमण नहीं है। खसरा नम्बर 83 के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 84 आया हुआ है तथा खसरा नम्बर 84 रकबा 5.1800 हैक्टेयर भूमि में से अपीलांट की पुत्रवधु श्रीमती मानकंवर पत्नि केशरसिंह व सुगनकंवर पत्नि मनमोहनसिंह का 1/8 हिस्सा हैं तथा उस पर ही अपीलांट का व उसकी पुत्रवधु का कब्जा है। अपीलांट की पुत्रवधु महिला होने से घर के बाहर नहीं निकलती है इसलिए उनके द्वारा अपनी भूमि के संबंध में होने वाली कार्यवाही के लिए मुझे अपीलांट को आम मुख्तियार घोषित कर रखा हैं, इस प्रकार अपीलांट का अपने स्वामित्व खातेदारी की भूमि पर कब्जा है, जो भूमि खसरा नम्बर 84 की भूमि हैं, अपीलांट का खसरा नम्बर 84 के किसी भी हक हिस्से पर अतिक्रमण नहीं हैं पटवारी द्वारा गलत व निराधार रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई हैं, जिस रिपोर्ट पर बिना अपीलांट को सुनवाई किये ही आदेश पारित किया हैं,जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डीडवाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 22/2[illegible] सरकार बनाम भोमसिंह में आदेश दिनांक 15.0[illegible] आदेश फरमावें।

अपील दर्ज कर रेस्पो[illegible] तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की तरफ से श्री रामस्वरूप मीणा तहसीलदार [illegible]वाना उपस्थित। बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कु...

जिला कलक्टर
डीडवाना–कु...न

उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि यह है कि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 83 में से 0.580 भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया हैं जबकि अपीलांट का खसरा नम्बर 83 की एक इंच भूमि पर भी किसी प्रकार का नाजायज अतिक्रमण नहीं है। खसरा नम्बर 83 के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 84 आया हुआ है तथा खसरा नम्बर 84 रकबा 5.1800 हैक्टेयर भूमि में से अपीलांट की पुत्रवधु श्रीमती मानकंवर पत्नि केशरसिंह व सुगनकंवर पत्नि मनमोहनसिंह का 1/8 हिस्सा हैं तथा उस पर ही अपीलांट का व उसकी पुत्रवधु का कब्जा है। अपीलांट की पुत्रवधु महिला होने से घर के बाहर नहीं निकलती है इसलिए उनके द्वारा अपनी भूमि के संबंध में होने वाली कार्यवाही के लिए मुझे अपीलांट को आम मुख्तियार घोषित कर रखा हैं, इस प्रकार अपीलांट का अपने स्वामित्व खातेदारी की भूमि पर कब्जा है, जो भूमि खसरा नम्बर 84 की भूमि हैं, अपीलांट का खसरा नम्बर 84 के किसी भी हक हिस्से पर अतिक्रमण नहीं हैं पटवारी द्वारा गलत व निराधार रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई हैं, जिस रिपोर्ट पर बिना अपीलांट को सुनवाई किये ही आदेश पारित किया हैं, जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डीडवाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 22/2020 बअनवान सरकार बनाम भोमसिंह में आदेश दिनांक 15.01.2021 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट तहससीलदार डीडवाना ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम गोदरास के खसरा सं0 83 किस्म गै0मु0 रास्ता पर 0.0580 हैक्टयर पर अतिक्रमण किया है। उक्त भुमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता है जो राजकीय भूमि है। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किये है। अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

बहस के तर्को पर मनन किया। मूल पत्रावली का अवलोकन किया। मूल पत्रावली में दिनांक 20.07.2020 की आदेशिका में स्पष्ट है कि अप्रार्थी का जोधपुर रहना बताया गया है तथा पुनः नोटिस जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी को जोधपुर जाना बताया गया है। दिनांक 20.07.2020 की आदेशिका के पश्चात अप्रार्थी को नोटिस दिये जाने का कोई प्रमाण/तथ्य पत्रावली में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी को नोटिस देकर प्रति उत्तर का अवसर नहीं दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के विपरीत है।

अतः तहसीलदार डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2021 मुकदमा नं0 22/2020 बउनवान पटवारी हल्का कोलिया बनाम भोमसिंह को अपास्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणवगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 08.04.2024 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कु...

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.06 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन